



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी जिला-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी- केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

क्रमांक / कोर्ट / 246/2025

दिनांक 13/8/2025

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार नौखड़ा की अनुशंषा रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के अनुसरण में ग्राम आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी, पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नौखड़ा जिला बाडमेर की अंतिम चौसाला आधार सम्बन्त 2072-2075 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021 से स्थायी) में खाता संख्या 25 एवं 26 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	25	"पदमाराम पुत्र देराराम"	"पदमाराम पुत्र देरामाराम"
2	आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी	26	"पदमाराम पुत्र देराराम"	"पदमाराम पुत्र देरामाराम"

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) गुढामालानी

गुढामालानी जिला-बाडमेर

दिनांक:-13/8/2025

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 584-586

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार नौखड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी पदमाराम पुत्र देरामाराम जाति जाट निवासी आडेल शिवनगर उर्फ पेमे की बेरी तहसील नौखड़ा।
3. रक्षित पत्रावली।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी जिला-बाडमेर  
(S.D.O.) गुढामालानी

